वित्तीय स्वीकृति

संख्या-16/334/52-3-14-बजट(05)/2013

प्रेषक

जय प्रकाश पाण्डेय
उप सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□□
अल्पसंख्यक कल्याण
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 11 फरवरी, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के आयोजन/संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति (आयोजनेत्तर) □□□□

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-4208/□0□0□0□□0/□□-26/□□□□/2013, दिनांक 22-1-2014 तथा शासन के पत्र स0-891/52-3-13-□□□(05)/13, दिनांक 30.4.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वत्तीय वर्ष 2013-14 में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड को वार्षिक परीक्षा के आयोजन/संच□□ □□□□□-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 02,01,25,000/-(रू0 दो करोड़ एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30-4-2014 द्वारा रू0 01,00,62,000/- (रूपये एक करोड़ बासठ हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुये व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखी गयी थी□

2. उक्त स्वीकृत धनराि◌िश के सापेक्ष व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 02,01,25,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि 0 01,00,63,000/- (रू0 एक करोड़ तिरसठ हजार मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के आधीन स्वीकृत करते हुये श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण तात्कालीक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाव□ □□ में जमा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-सम□□ □□ वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण दिनांक 31.03.2014 तक शासन को उपलब्ध कराये जायेंगें तथा वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय परीक्षाओं के संचालन/आय□□□ पर ही किया जायेगा तथा अस्थायी रूप से किसी भी अन्य मदों पर व्यय वर्तन मान्य नहीं होगा। व्यय का मदवार विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किय □□□□□

5- उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्ष -01-प्रारम्भिक शि -आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-09-अरबी फारसी बोर्ड-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-□-11-309/□□-2014-दिनांक 14 फरवरी, 2014 में प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

[redacted]

भवदीय

(जय प्रकाश पाण्डेय)

□□ □□□

संख्या- 334/52-3-14- तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. □□□□□□□ (□खा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□
2. □□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0 □□□□□□□
3. कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 □□□□□
4. रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,704, □□□□ □□□, □□□□□
5. वित्त (□-11) □□□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1(02प्रतियों में)/□□□□□

□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in